

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

स्वास्थ्य विभाग,

आदेश

पत्रांक: सं०सं०-68/बी०एन०आर०सी०/2023/..... स्वा०,पटना, दिनांक

आर्यमन एजुकेशनल ट्रस्ट, लालजी टोला, पटना-800001 द्वारा संचालित राज आर्यन नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल कॉलेज, मोहद्धीनपुर, रामघाट, नालन्दा-801305 के अन्तर्गत पोस्ट बेसिक बी०एस०सी०नर्सिंग पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के लिए विभागीय आदेश ज्ञापांक- 2889/बी०एन०आर०सी०, दिनांक 24.11.2023 के द्वारा डा० नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक(मुख्यालय), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप संबंधित संस्थान में उपलब्ध भौतिक संरचनाओं, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जाँचोपरांत अनुशंसा के आलोक में पूर्व के निर्धारित सीटों पर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से अगले तीन सत्रों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु मान्यता का सत्र अवधि विस्तार किया जाता है।

2-सरकार को यह अधिकार होगा कि संस्थान का निरीक्षण तीन वर्ष के पूर्व भी कराया जा सकेगा।

3-संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली से Suitability Report प्राप्त करने का निदेश दिया जाता है।

4-प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह/०-

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

- ज्ञापांक-सं०सं०-68/बी०एन०आर०सी०/2023/...../21.9.23/BURE स्वा०,पटना, दिनांक 16.02.2024
- प्रतिलिपि :- सचिव, राज आर्यन नर्सिंग एण्ड पारामेडिकल कॉलेज, मोहद्धीनपुर, रामघाट, नालन्दा-801305 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अपर सचिव, स्वा०विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

JK